

प्रेस नोट जनपद प्रतापगढ़ दिनांक 17.10.2021

चोरी के ओप्पो ए-53 मोबाइल फोन कीमत करीब 13000/- रू0 के साथ, 02 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार (थाना हथिगवा)

थाना हथिगवां से उ0नि0 श्री अभिमान सिंह मय हमराह द्वारा देखभाल क्षेत्र/चेकिंग के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर थाना स्थानीय के मु0अ0सं0 210/21 धारा 380 भादंवि से संबंधित 02 वांछित अभियुक्त 1. धनंजय सिंह उर्फ गुड्डू पुत्र संग्राम सिंह नि0ग्राम मिश्रदयालपुर थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ़, 2. अर्जुन कुमार सरोज पुत्र चन्द्रपाल सरोज नि0ग्राम महाराजपुर थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ़ को थाना क्षेत्र के हथिगवां चौराहे के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त अर्जुन कुमार सरोज के पास से (चोरी का) ओप्पो ए-53 मोबाइल फोन बरामद किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1. धनंजय सिंह उर्फ गुड्डू पुत्र संग्राम सिंह नि0ग्राम मिश्रदयालपुर थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ़।
2. अर्जुन कुमार सरोज पुत्र चन्द्रपाल सरोज नि0ग्राम महाराजपुर थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ़।

घटना का संक्षिप्त विवरण:- दिनांक 10.10.2021 को वादी के भाई का ओप्पो ए-53 मोबाइल फोन चोरी होने के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 210/21 धारा 380 भादंवि का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

बरामदगी:- चोरी का एक अदद ओप्पो ए-53 मोबाइल फोन।

पुलिस टीम- उ0नि0 श्री अभिमान सिंह, उ0नि0 श्री रामआधार सिंह यादव, आरक्षी आशीष गौड व आरक्षी मानवेन्द्र सिंह थाना हथिगवां, जनपद प्रतापगढ़।

10 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ 01 अभियुक्ता गिरफ्तार (थाना संग्रामगढ़)

जनपद के थाना संग्रामगढ़ पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र/चेकिंग के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर थाना क्षेत्र के नरसिंह बहादुर का पुरवा से अवैध कच्ची शराब बिक्री कर रही एक अभियुक्ता फूलमती पत्नी रामखेलावन नि0 नरसिंह बहादुर का पुरवा थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़ को 10 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्ता का विवरण -

फूलमती पत्नी रामखेलावन नि0 नरसिंह बहादुर का पुरवा थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी-

1. अवैध 10 लीटर कच्ची शराब।

पुलिस टीम- उ0नि0श्री सुरेश कुमार, आरक्षी अरविन्द कुमार, आरक्षी प्रविन्द यादव, महिला आरक्षी अमृता तिवारी व म0आरक्षी सजल यादव थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़।